



बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना- 800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. % 2231562, वेबसाइट : <https://bsea.bihar.gov.in>, ई-मेल : bseapatna@gmail.com

पत्रांक : नि. प्रा./नि. 1-43/2023 (खंड)

2654 / पटना, दिनांक: 12/09/2025

प्रेषक,

कयूम अंसारी,
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स. स.),
उप विकास आयुक्त -सह- नोडल पदाधिकारी (स. स.),
कैमूर (भभुआ), सिवान, मुजफ्फरपुर एवं पटना ।
प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स. स.),
(संलग्न सूची के अनुसार)।

विषय : प्रखंड प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लि. के निर्वाचन हेतु मतदाता सूची का प्रकाशन।

प्रसंग : प्राधिकार का पत्रांक 2628 दिनांक 10.09.2025.

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि प्राधिकार के पत्रांक 2628 दिनांक 10.09.2025 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा कुल 10 प्रखंड प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लि. के निर्वाचन हेतु मतदाता सूची प्रकाशन का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। उक्त पत्र के अनुलग्नक-1 में अंकित 10 प्रखंड प्राथमिक सब्जी समिति के अतिरिक्त 04 प्रखंड प्राथमिक सब्जी समिति का नाम अनुपूरक सूची के रूप में शामिल किया जाता है।

2. उक्त दुग्ध समितियों का मतदाता सूची प्रकाशन का कार्यक्रम प्राधिकार के पत्रांक 2628 दिनांक 10.09.2025 के अनुरूप रहेगा। प्रासंगिक पत्र की शेष बातें यथावत रहेंगी।
अनुलग्नक-यथोक्त।

विश्वसिमाजन

(कयूम अंसारी)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 2654

/पटना, दिनांक

12/09/2025

प्रतिलिपि: जिला सहकारिता पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ), सिवान, मुजफ्फरपुर एवं पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। कृपया स्वच्छ मतदाता सूची के निर्माण में निर्वाचन पदाधिकारी को आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। ज्ञातव्य हो कि निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा की गई किसी पृच्छा का सम्यक् एवं त्वरित उत्तर देने हेतु वे कर्तव्यबद्ध (dutybound) हैं।

2. साथ ही निदेश है कि कट-ऑफ तिथि के आधार पर समिति से निर्धारित तिथि को प्रपत्र-एम 1 में सदस्यता सूची प्राप्त करने की व्यवस्था अपने स्तर से भी सुनिश्चित करेंगे।

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 2654

/पटना, दिनांक : 12/09/2025

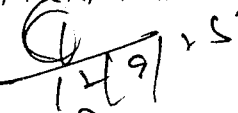
प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना / सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना / निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना / प्रमंडलीय आयुक्त, पटना, सारण एवं तिरहुत, को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 2654

/पटना, दिनांक : 12/09/2025

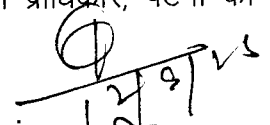
प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना / पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 2654

/पटना, दिनांक : 12/09/2025

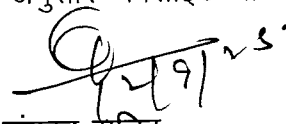
प्रतिलिपि: मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना का कोषांग / संयुक्त सचिव / परामर्शी / अवर सचिव / सभी प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 2654

/पटना, दिनांक : 12/09/2025

प्रतिलिपि: MIS कोषांग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। श्री वैद प्रकाश, आई. टी. प्रोफेशनल, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार को निदेश है कि इस कार्यक्रम के अनुसार वेबसाइट से संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई ससमय करना सुनिश्चित करेंगे।


संयुक्त सचिव

निर्वाचन देय प्रखंड प्राथमिक सब्जी उत्पादक समितियों की सूची :- अनुलग्नक:- 1 के क्रम में

क्र०	जिला का नाम	प्रखंड का नाम	सब्जी समिति का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	
11	कैमूर (भभुआ)	अधौरा	अधौरा प्रखंड प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लि.	
12	सिवान	गोरेयाकोठी	गोरेयाकोठी प्रखंड प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लि.	
13	मुजफ्फरपुर	बोचहाँ	बोचहाँ प्रखंड प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लि.	
14	पटना	फतुहाँ	फतुहाँ प्रखंड प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लि.	



**मतदाता सूची के प्रकाशन कार्यक्रम के दौरान ऑनलाईन प्रविष्टि /
अपलोड से संबंधित निर्देश।**

दिनांक 19.09.2025 को निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी से प्राप्त प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन अन्य विहित स्थानों के अलावे प्राधिकार के वेबसाइट पर प्रारूप मतदाता सूची को स्कैन कर के PDF File में अपलोड किया जायेगा। इसके लिए निम्नांकित प्रक्रिया अपनाई जायेगी-

- i. प्राधिकार के वेबसाइट <https://bsea.bihar.gov.in> का लॉगिन पेज open करेंगे,
- ii. ऊपर वर्णित "समितियों के मतदाता सूची का प्रकाशन कार्यक्रम" टैब पर क्लिक करेंगे,
- iii. मतदाता सूची के प्रकाशन की सूचना (M-2) पर क्लिक करेंगे,
- iv. टेबल में उपलब्ध विभिन्न पत्र संख्या के सामने "View" बटन पर क्लिक करेंगे,
- v. क्लिक करने के उपरांत नीचे खुले दूसरे टेबल में "प्रारूप प्रकाशन हुआ अथवा नहीं" की सूचना देते हुए प्रारूप मतदाता सूची के **SCANNED PDF** फाइल को अपलोड करेंगे,
- vi. **SCANNED PDF** फाइल अपलोड करने के उपरांत यह आश्चस्त हो लें कि सही फाइल को अपलोड किया गया है, तत्पश्चात् Entry करने वाले व्यक्ति का नाम तथा मोबाईल नम्बर देने के बाद **SUBMIT** बटन पर क्लिक करेंगे।

प्रारूप मतदाता सूची स्कैन करने से संबंधी निर्देश :-

- I. प्रारूप मतदाता सूची को ब्लैक एंड व्हाइट मोड में स्कैन करना है (Grey अथवा Colour में नहीं),
 - II. RESOLUTION 200 से 300 DPI में रखना है,
 - III. SCANNED फाइल को PDF फाइल के रूप में save करना है,
 - IV. PDF फाइल साईज 30 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए,
 - V. PDF फाइल साईज 30 MB से ज्यादा होने की स्थिति में COMPRESSED करने पर सूची अच्छे से पठनीय होना चाहिए, फाइल quality खराब नहीं होना चाहिए।
- 'कम्प्यूटर स्कैनर से स्कैन करने के लिए प्राथमिकता दिया जाय। स्कैनर उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में मोबाईल से स्कैन करते वक्त भी उक्त निर्देशों का अनुपालन किया जाय।

प्रारूप मतदाता सूची का PDF फाइल अपलोड हो जाने के बाद यह वेबसाइट के Home Page पर उपलब्ध Public View "समितियों से संबंधित प्रारूप मतदाता सूची देखने के लिए क्लिक करें" पर क्लिक कर देखा जा सकता है।

2. संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा अपने-अपने प्रखंड में अवस्थित समितियों की मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन कर दिये जाने की सूचना प्राधिकार के वेबसाइट <https://bsea.bihar.gov.in> पर अपने यूजरनेम के माध्यम से लॉगिन कर ऑनलाईन प्रविष्टि (केवल हॉ अथवा नहीं में) दिनांक 19.09.2025 को निम्नरूप से किया जायेगा:-

- i) होमपेज में ऊपर “समितियों के मतदाता सूची का प्रकाशन कार्यक्रम” पर क्लिक करें। तत्पश्चात् वेबपेज पर इस पत्र के माध्यम से मतदाता सूची के प्रकाशन हेतु निर्गत संख्या के सामने “View” पर क्लिक करें। क्लिक करने के उपरांत समितियों के नाम के सामने उल्लिखित “प्रारूप प्रकाशन हुआ अथवा नहीं” में “हाँ” अथवा “नहीं” का चयन कर सबमिट करेंगे।
3. निर्वाचन पदाधिकारी मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद पुनः प्राधिकार के वेबसाइट <http://bsea.bihar.gov.in/> पर अपने यूजरनेम के माध्यम से लॉगिन कर मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन कर दिये जाने की सूचना दिनांक 08.10.2025 को निम्नरूप से ऑनलाईन प्रविष्टि (केवल हाँ अथवा नहीं में) करेंगे:—
- निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्राधिकार के वेबसाइट पर लॉगिन करने के उपरांत होमपेज में ऊपर “समितियों के मतदाता सूची का प्रकाशन कार्यक्रम” पर क्लिक करेंगे। तत्पश्चात् वेबपेज पर इस पत्र के माध्यम से मतदाता सूची के प्रकाशन हेतु निर्गत संख्या के सामने “View” पर क्लिक करें। क्लिक करने के उपरांत समितियों के नाम के सामने उल्लिखित “अंतिम प्रकाशन हुआ अथवा नहीं” में हाँ अथवा नहीं का चयन कर एवं मतदाताओं की संख्या तथा प्रखंड मुख्यालय से समिति कार्यालय की अनुमानित दूरी टाईप कर सबमिट करेंगे।
4. निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा ऑनलाईन प्रविष्टि किये जाने के पश्चात् प्रारूप प्रकाशन/ अंतिम प्रकाशन हुआ अथवा नहीं की स्थिति को ऑनलाईन ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी, नोडल पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारी अपने-अपने यूजरनेम के माध्यम से प्राधिकार के वेबसाइट पर लॉगिन कर डैशबोर्ड पर “मतदाता सूची के प्रकाशन से संबंधित कार्यक्रम की सूचनाएं” पर क्लिक कर देख सकेंगे।

.....0.....